जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति — दिनांक 02.06.2024

थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 02.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 28.05.2024 को थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के संबंध में पीड़िता के परिजन द्वारा थाना कांधला पर नामजद के विरुद्ध लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.आमिर पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला जन्नत कालोनी थाना कांधला जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध कच्ची शराब बरामदः-

आज दिनांक 02.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 05 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.कपिल उर्फ टेरू पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम लिलौन थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 05 लीटर कच्ची शराब।

<u>थाना कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 31.05.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.मुकरीम उर्फ मुकर्रम पुत्र शाहदीन निवासी ग्राम खन्द्रावली थाना कांधला जनपद शामली।

<u>थाना थानाभवन पुलिस द्वारा ग्राम सोहनजी उमरपुर में जमीनी विवाद में 06 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी में किया चालानः-</u>

आज दिनांक 02.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सोहजनी उमरपुर में जमीनी विवाद 06 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी में चालान किया गया है।

<u>गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम व पताः-</u>

1.तैमूर पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम सोहजनी उमरपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।
2.आरिफ पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम सोहजनी उमरपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।
3.जमशेद पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम सोहजनी उमरपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।
4.मोबीन पुत्र इशहाक निवासी ग्राम सोहजनी उमरपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।
5.हनीफ पुत्र इशहाक निवासी ग्राम सोहजनी उमरपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।
6.अफसान पुत्र मोबीन निवासी ग्राम सोहजनी उमरपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत मादलपुर नहर पुल पर युवक से लूट की घटना झूठी पाये जाने के सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति।

ज्ञात हो दिनाक 01.06.2024 को वादी राजेन्द्र सिंह पुत्र पीतम सिंह निवासी हरदेव नगर थाना आदर्श मंडी जनपद शामली द्वारा थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत मादलपुर नहर पुल पर मोटर साईकिल सवार 02 युवको द्वारा 10,000/- रुपये छीन लेने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण हेतु टीमें लगायी गयी थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 02.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा विवेचना के क्रम में वादी राजेन्द्र सिंह उपरोक्त से गहन पूछताछ की गयी तो वादी द्वारा बताया गया कि मैं अपनी स्कूटी से शामली से गंगोह जा रहा था जैसे ही मैं मादलपुर नहर पुल पर पहुँचा तो मोटर साईकिल पर सवार 02 युवकों से साईड़ देने को लेकर मेरी कहासुनी हो गयी थी। इसी बात को लेकर मैने अपने साथ 10,000/- रुपये लूट की झूठी सूचना थाना थानाभवन पर दी थी। थाना थानाभवन पुलिस द्वारा मोटर साईकिल सवार युवक राहुल पुत्र देवी सिंह निवासी ग्राम गोहरनी थाना आदर्श मंडी जनपद शामली व विकास पुत्र सतीश निवासी ग्राम भैंसवाल थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली से पूछताछ पर सम्पूर्ण प्रकरण कहासुनी का होना पाया गया है। थाना थानाभवन पुलिस द्वारा विवाद करने वाले राहुल व विकास को हिरासत में लिया गया है। अभियोग में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI